

प्रेषक,

डॉ०पी०एस०गुंसाई,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,

पंचायती राज, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पंचायती राज अनुभाग

देहरादून

दिनांक 19 जुलाई, 2011

विषय:- त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों तथा महिला प्रतिनिधियों प्रशिक्षण हेतु धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्रांक 109/2-पं०/लेखा/प्रशिक्षण/2011-12 देहरादून दिनांक 23 अप्रैल, 2011के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्रिस्तरीय पंचायतों में चालू वित्तीय वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-19 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम- आयोजनागत-101-पंचायती राज-09-त्रिस्तरीय पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु-42-अन्य व्यय में रु. 20.00 लाख (रु. बीस लाख मात्र) तथा अनुदान संख्या-19 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनागत-101-पंचायती राज-13-त्रिस्तरीय पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण हेतु 42-अन्य व्यय में रु. 20.00 लाख (रु. बीस लाख मात्र) अर्थात् कुल धनराशि रु. 40.00 लाख (रु. चालीस लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- उक्त धनराशि का किसी भी दशा में व्यवर्तन नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित योजनाओं हेतु आवश्यकतानुसार फांट अपने स्तर से किया जाय ।
- उक्त आवंटित धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय-समय पर जारी/ जारी होने वाले मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों को ध्यान में रखकर किया जाय तथा व्यय आवंटित धनराशि की सीमा तक ही रखा जाय ।
- धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार वित्तीय नियमों के अन्तर्गत ही किया जायेगा।
- उक्त आवंटित धनराशि के व्यय की संकलित सूचना प्रपत्र-बी०एम०-13 पर प्रत्येक माह की 7 वीं तिथि तक शासन को उपलब्ध करा दी जाय ।
- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 78(p)/XXVII(1)/2011, दिनांक 12 जुलाई, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ०पी०एस०गुंसाई)
सचिव।

संख्या /XII/11/82(07)/2010 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून ।
- वरिष्ठ कोषाधिकारी/समस्त कोषाधिकारी उत्तराखण्ड ।
- समस्त जिलाधिकारी,उत्तराखण्ड/निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ उत्तराखण्ड 23 लक्ष्मी रोड़ देहरादून ।
- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र उत्तराखण्ड देहरादून।
- वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-4 उ० शासन/बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन,सचि० देहरादून/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(जे०एल०शर्मा)
अनु सचिव ।

A.A.P

106
23/7/11
21/7/2011